न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः–श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः–260 / 2019

प्रार्थीः– नरसिंगाराम पुत्र श्री धुड़ाराम, जाति मेघवाल, निवासी पीथासर पूनासर तहसील बापिणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगणः–

1. तहसीलदार बापिणी।
2. पपूराम पुत्र श्री हरूराम
3. कालूराम पुत्र श्री हरूराम
4. श्रवणराम पुत्र श्री हरूराम
   जाति मेघवाल निवासी पीथसर पूनासर
   तहसील बापिणी, जिला जोधपुर।

उपस्थित

प्रार्थी की ओर से :– अधिवक्ता श्री चुनाराम गर्ग उपस्थित।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से :– सरकारी पैरोकार।

अप्रार्थी संख्या 2 से 4– एक पक्षीय।

–::निर्णय::–

दिनांकः– 30.10.2019

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि, प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 से 4 की संयुक्त खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 813/2 रकबा 24 बीघा, मौजा पीथासर तहसील बापिणी की सरहद में आई हुई हैं। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम भूलवश राजस्व कर्मचारियों द्वारा नरूराम दर्ज कर दिया गया। लेकिन प्रार्थी का वास्तविक नाम नरसिंगाराम है। प्रार्थी के [illegible] दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक [illegible] धुड़ाराम के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:41:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

नाम से बने हुए हैं। उक्त राजस्व रेकर्ड में नाम त्रुटि केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों की भूल के कारण हुई, जो सदभाविक भूल के कारण हुई हैं। जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। राजस्व रेकर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थी को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड रहा हैं जिस वजह से प्रार्थी अपनी भूमि पर भूमि सुधार कार्य करने बाबत् तमाम कार्य रूके हुए पडे हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 813/2 रकबा 24 बीघा, मौजा पीथासर तहसील बापिणी में प्रार्थी का नाम नरूराम पुत्र धुड़ाराम दर्ज कर रखा हैं जो गलत हैं उसके स्थान पर प्रार्थी का सही नाम नरसिंगाराम पुत्र धुडाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

यह है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थीगण को तलब किया गया। चुंकि अप्रार्थी संख्या 2 से 4 उक्त भूमि में खातेदार है जिस कारण प्रफोर्मा पक्षकार के रूप में सम्मिलित किया गया इसलिए आवश्यक पक्षकार पैराकार सरकार है अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार बापिणी की ओर से जवाब पेश किया गया तथा बताया कि प्रार्थी का नाम ग्राम पीथासर के खसरा नम्बर 813/2 रकबा 24 बीघा में प्रार्थी का नाम नरूराम पि. धुड़ाराम दर्ज है जबकि अन्य दस्तावेजी आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पासबुक में नरसिंगाराम पुत्र धुड़ाराम दर्ज है तथा गांव के पड़ौसियों से पुछताछ करने पर प्रार्थी का नाम नरसिंगाराम पुत्र धुड़ाराम बताया गया अतः प्रार्थी का नाम नरसिंगाराम पुत्र धुड़ाराम करना उचित है।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब ही बहस मानी गई, बहस पर मनन कि[illegible] पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावल[illegible] कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम नरूराम दर्ज है तथा आधार कार्ड, पहचान

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:41:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

पत्र, बैंक पासबुक में नरसिंगाराम दर्ज है। प्रार्थी का नाम की वल्दियत में कोई अन्तर नहीं है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र युक्तियुक्त आधारों पर आधारित है प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का तहसीलदार द्वारा भी समर्थन किया गया है जिससे प्रार्थना पत्र को बल मिलता है, अप्रार्थी की स्वीकारोक्ति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 813/2 रकबा 24 बीघा ग्राम पीथासर तहसील बापिणी के राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम सुधार किया जाकर नरूराम के स्थान पर नरसिंगाराम दर्ज किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार बापिणी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(रतनलाल रेगर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 30.10.2019 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:41:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner